

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 210/14

तारीख रजू- 06/08/2014

श्री मुत्र हरपाल जाति बैरवा निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।  
बनाम

—अपीलार्थी

जयशंकर जरिये नायब तहसीलदार, बरनाला।

----- रेस्पो०

निर्णय

दिनांक-04/03/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, बरनाला द्वारा मिसल संख्या 176/14 में पारित आदेश दिनांक 11/02/14 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जाखोलासखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 317 रकवा 0.08 हेक्टर गौमु० चरागाह पर संवत् 2070 रबी में अनाधिकृत रूप से कच्चा घर बनाकर कब्जा करने का कर्ता अपीलार्थी से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती नानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थी को आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय अधीनस्थ आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम जाखोलासखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 317 के नये नम्बर 667/317 रकवा गौमु० चरागाह से आबादी में परिवर्तन हुई है परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं हुई है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी की वजह से अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की है। परिवर्तित आराजी में सभी व्यक्तियों का नाम बने हुए है परन्तु अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत द्वारा अपीलार्थी निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अपील अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की तलबी व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।


दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्जावेजात व पत्रावली खण्डन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12/01/14 को अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त आराजी की अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 27/01/14 को रजिस्टर किया जाकर उसी दिन पटवारी हल्का के बयान लिये जाकर अपीलार्थी को सुनवाई तिथि 04/03/14 का नोटिस जारी किया है तथा पटवारी हल्का की अतिचार की रिपोर्ट व बयान को आधार के अन्तर्गत अपीलार्थी निर्णय पारित किया है। वकील अपीलार्थी ने ग्राम जाखोलासखुर्द की संवत् 2072 जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 667/317 रकवा 2.00 हेक्टर आबादी में दर्ज बताई है। वकील अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी के मकान गौमु० आबादी में बने आबादी में नहीं है परन्तु तरमीम नहीं होने के कारण अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ निर्णय पारित किया है। अतः अदालत मातहत से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर इस तथ्य की जाँच तरमीम करवायी जाकर करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के मकान अपीलार्थी को आवंटित आबादी भूमि में बने हुए है अथवा चरागाह भूमि में बने हुए है।

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

स्वीकार

अपील संख्या 210/14 हरजी/सरकार

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर (भुगती गई सजा को अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर विवादग्रस्त आराजी की तरमीम करवायी जाकर यह जाँच करे कि अपीलार्थी के बने मकान आवंटित आबादी भूमि में है अथवा चरागाह भूमि में। इस तथ्य की जाँच कर प्रकरण में नियमानुसार नये निर्णय पारित करे।  
निर्णय आज दिनांक 04/03/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(बलदेवसिंह हाडा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर